कुशाभाऊ ठाकरे
पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, पोस्ट ऑफिस – सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013

दूरभाष : 0771 2779202 फैक्स : 0771 2779210

क्रमांक 1066 / नामांकन / 2016 रायपुर, दिनांक 06 / 09 / 2016

/ / अधिसूचना / /

शैक्षणिक सत्र जुलाई–दिसम्बर 2016 में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त नियमित छात्र–छात्राओं के लिए नामांकन फार्म व शुल्क जमा करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. **बिना विलंब शुल्क– शुक्रवार, दिनांक 30 / 09 / 2016 तक**
2. **25 / – विलंब शुल्क – सोमवार, दिनांक 10 / 10 / 2016 तक**

दिनांक 10 / 10 / 2016 के पश्चात् 10 / – प्रति माह की दर उपरोक्त के अतिरिक्त अधिभार देय होगा।

आवेदन पत्र के साथ समस्त अंकसूचियाँ (सत्यापित), स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रवजन (Migration Certificate) प्रमाण पत्र, शुल्क जमा करने की रसीद, गेप प्रमाण पत्र (यदि हो) पात्रता प्रमाण पत्र (छ.ग. राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय / बोर्ड के छात्र / छात्राओं हेतु) स्टांप साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

आवश्यक निर्देश :–

प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त नियमित छात्र / छात्राओं से नामांकन पत्र भराया जाना है। नामांकन फार्म / नामांकन रिटर्न फार्म / पात्रता आवेदन फार्म विश्वविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त नामांकन फार्म / पात्रता आवेदन फार्म हेतु (15 / – पंद्रह रूपये प्रति नामांकन फार्म / पात्रता आवेदन फार्म) शुल्क जमा कर प्राप्त करें।

1. नामांकन पत्र के साथ रंगीन स्टांप साईज फोटो, जन्म तिथि प्रमाण हेतु हाई स्कूल 10+2 पद्धति से उत्तीर्ण हायर सेकण्डरी तथा इसके बाद की समस्त परीक्षाओं की राजपत्रित / संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य / विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय अध्ययन शाला द्वारा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान की गई अंक सूचियों की सत्यापित एवं हस्ताक्षरित अंक सूची संलग्न की जावें।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के बोर्ड / अन्य विश्वविद्यालय से आये हुए छात्र / छात्राओं से मूल प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्राप्त कर संलग्न किया जावे।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर विश्वविद्यालय / बोर्ड के प्रत्येक विद्यार्थी को पात्रता प्रमाण पत्र तथा प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। राज्य से बाहर विश्वविद्यालय / बोर्ड से इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्ति

हेतु 15 रू. पात्रता आवेदन पत्र शुल्क तथा 125 रू. पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा तथा इन्हें अप्रवासन शुल्क (250 रू. मात्र) भी जमा करना होगा।

4. नामांकन आवेदन पत्र शुल्क 15 रू. एवं नामांकन शुल्क 150 रू. निर्धारित है।

5. कक्षावार आवेदन पत्रों की प्रविष्ठी एनरोलमेंट रिटर्न दो प्रतियों में भर कर तैयार की जावे जिसमें से एक प्रति विश्वविद्यालय कार्यालय एवं एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।

6. समस्त प्रपत्र निर्धारित शुल्क सहित विश्वविद्यालय कार्यालय में यथा शीघ्र नगद/बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के पद नाम पर तैयार कर विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा किया जावे।

नोट : नामांकन/पात्रता आवेदन पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में आवश्यक शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

कुलपति जी के आदेशानुसार

6.9.16

(डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय)
कुलसचिव

पृ.क्र. 1067 /नामांकन/2016 रायपुर, दिनांक 06/09/2016

प्रतिलिपि :

1. विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय अध्ययनशाला।
2. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय।
3. कुलपति/कुलसचिव/प्रभारी–उपकुलसचिव कार्यालय।
4. वित्त शाखा/समस्त अध्ययनशाला।
5. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
6. सूचना पटल में चस्पा हेतु।

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6.9.16

कुलसचिव

नामांकन पत्रक संशोधित निर्देश

(1) इस नामांकन पत्र में लिखा गया विद्यार्थी का नाम उसके उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण - पत्र (हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट) अथवा अन्य विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा निर्गमित प्रमाण–पत्र में दिये गये उनके नाम के अनुरूप शब्दशः लेना आवश्यक है। नाम परिवर्तन चाहने वाले प्रत्याशी मूल हलफनामा / शपथ पत्र और 150 रूपये शुल्क जमाकर अनुमति प्राप्त होने पर ही वांछित परिवर्तित नाम लिखे। शपथ हलफनामा की फोटोकापी कदापि संलग्न कर न भेजें।

(2) इस नामांकन आवेदन पत्र पर अग्रेषित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम मुहर होना आवश्यक है।

(3) छत्तीसगढ़ बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड / वि.वि. से परीक्षा उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण होकर आने वाले विद्यार्थी प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ ही संलग्न कर प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ के बाहर के बोर्ड और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 250 रूपये अप्रवासन शुल्क जमा करें।

(4) नामांकन कराने के लिए निर्धारित तिथि तक 150 रू. और 30 सितम्बर के बाद 25 रू. विलम्ब शुल्क उस सत्र के 31 दिसम्बर तक इसके पश्चात् 10 रू. प्रतिमाह अधिभार शुल्क भी देना होगा और तत्संबंध में कुलपतिजी के अनुमति भी लेनी होगी। प्रवजन प्रमाण–पत्र देर से देने की स्थिति में 20 रू. विलंब शुल्क व अधिभार शुक्ल देना होगा ।

(5) यदि आपने इस विश्वविद्यालय से प्रवजन प्रमाण पत्र लेकर अन्य विश्वविद्यालय या संस्था से अग्रिम अध्ययन किया है (और उसका उपयोग नहीं किया गया हो) तो उसे मूल रूप से नामांकन फार्म भर कर शुल्क के साथ वापस लौटाये, अन्यथा धोखाघड़ी 420 के दण्डनीय अपराध के अपराधी होंगे।

(6) छात्र इस आवेदन पत्र क्रम खण्ड एक से दस तक के खण्डों तथा नामांकन पत्रक के खण्डों की ही पूर्ति करें एवं अपने हस्ताक्षर करें।

(7) इस विश्वविद्यालय से सम्मिलित सभी परीक्षाओं के नामांकन क्रमांक क्रमानुसार ऊपर दर्शायी जावें।

टीप : (1) नामांकन शुल्क 150 रू (2) अप्रवासन शुल्क 250/– (3) विलम्ब शुल्क 25 रू. प्रति सत्र 31 दिसम्बर तक (4) अधिभार शुल्क 10 रू. प्रत्येक सत्र में जनवरी से प्रारंभ, मासान्त तिथि तक 10 रू. प्रतिमास नया सत्र 1 जुलाई लगने के बाद विगत प्रति सत्र का 120 रू. अधिभार शुल्क देय होगा। (तथा 1 जनवरी से 30 जून तक) (5) पात्रता प्रमाण पत्र 15+125 रू. जमा करके प्राप्त कर लेने के बाद ही प्रवेश प्राप्त करें या प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 14 अगस्त के पश्चात् 225 रू. अधिभार जमा करने पर ही पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। (6) पी.एच–डी. के छात्रों के नामांकन हेतु अधिसूचना क्रमांक 579/अका./12 दिनांक 08/08/2012 के अनुसार देय होगा।

नियमित छात्र / छात्रा कभी भी विश्वविद्यालय कार्यालय में नामांकन / परीक्षा संबंधी कार्य से उपस्थित होवें तो अपने महाविद्यालय / वि.वि. / शिक्षण विभाग से पूर्ण जानकारी विहित पत्र और सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही अधिकारी से संपर्क स्थापित करें।

(8) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक .... /2360/2013/38–2(पार्ट) नया रायपुर, दिनांक 06/07/2015 की छाया प्रति पिछले सत्र में संलग्न कर भेजी गई है। उक्त पत्र की कंडिका 4 निम्नानुसार है :–

"राज्य शासन, एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार संचालित गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थाओं / आफ कैम्पस / स्टडी सेंटर / फ्रेंचाइसी केन्द्रों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जावे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–दिर्देशों के अनुकम में ऐसे ऑफ कैम्पस / स्टडी सेंटर / फ्रेंचाइसी व्यवस्था द्वारा प्रदत्त डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र आदि को मान्य नहीं किया जावें ।"

(9) जाली विश्वविद्यालय / बोर्ड की सूची तथा प्रवेश मार्गदर्शिका (उच्च शिक्षा द्वारा जारी) नेट से निकालकर भली भॉति अध्ययन कर फार्म अग्रेषित करें ।